प्रेस नोट दिनांक 16.11.2024

थाना भुता जनपद बरेली।

थाना भुता #bareillypolice द्वारा पुष्पेन्द्र की हत्या के मुकदमे में वांछित 25 - 25 हजार- रू0 के पुरस्कार घोषित दो अभियुक्तों को दौराने पुलिस मुठभेड़ किया गया गिरफ्तार।

दिनांक 05.11.2024 को थाना भुता क्षेत्रान्तर्गत नवदिया पेट्रोल पम्प के पास एक मो0सा0 सवार की कुछ बदमाशों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी, जिसमें 10 नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध मु0अ0सं0 447/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/61(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान 05 अन्य अभियुक्त भी प्रकाश में आये। प्रकरण में 05 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है तथा दो आरोपी पूर्व से जेल में निरूद्ध है।

आज दिनांक 15/16.11.2024 की देर रात्रि समय करीब 03.45 बजे प्राप्त सूचना के आधार पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु थाना भुता पुलिस टीम द्वारा ग्राम गजनेरा के जंगल में चैकिंग/कांबिग की जा रही थी। चैकिंग/कांबिग के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा ग्राम गजनेरा के जंगल में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के प्रयास के दौरान पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गयी। पुलिस पार्टी द्वारा अपने बचाव में आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी फायरिंग में मु0अ0सं0 447/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/61(2)/351(3) बीएनएस में वांछित दो अभियुक्तों 1.सिपिन पुत्र रामौतार निवासी ग्राम खरदाह थाना भुता जनपद बरेली एवं 2.गौरव पुत्र भिखारी निवासी ग्राम खरदाह थाना भुता जनपद बरेली को गिरफ्तार किया गया है। दौराने पुलिस मुठभेड़ दोनों अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है। इस कार्यवाही में पुलिस टीम के मुख्य आरक्षी देवेन्द्र भी घायल हुये हैं। घायल दोनों अभियुक्तों व पुलिसकर्मी को इलाज हेतु तत्काल जिला अस्पताल भेजा गया है। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के ऊपर 25,000-25,000 /- रू0 का पुरस्कार घोषित हैं। अभियुक्तों के कब्जे से दो तमन्चा 315 बोर, 04 जिन्दा कारतूस व 04 खोखा कारतूस, एक मो0सा0 भी बरामद हुयी है। प्राथमिक पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने घटना में संलिप्ता स्वीकार की है तथा शेष वांछित अभियुक्तों के छिपे हुये जगहों के बारे में जानकारी दी है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना भुता पर मु0अ0सं0 455/2024 धारा 109 बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को पर्याप्त सबूतों के साथ माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम पता/अपराधिक इतिहास-

1.सिपिन पुत्र रामौतार निवासी ग्राम खरदाह थाना भुता जनपद बरेली

1. मु0अ0सं0 173/24 धारा 323/354/452/506/504 भादवि थाना भुता, बरेली।
2. मु0अ0सं0 335/18 धारा 120बी/212/307/452/504/506 भादवि थाना भुता, बरेली।
3. मु0अ0सं0 447/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/61(2)/351(3) बीएनएस थाना भुता, बरेली।

2.गौरव पुत्र भिखारी निवासी ग्राम खरदाह थाना भुता जनपद बरेली।

1. मु0अ0सं0 447/24 धारा 191(2)/191(3)/190/103(1)/61(2)/351(3) बीएनएस थाना भुता, बरेली।

बरामदगीः-

दो तमन्चा 315 बोर,

04 जिन्दा कारतूस

04 खोखा कारतूस

एक मोटर साइकिल (रजि0न0 UP 26C 3447)

पुलिस टीम-

1.प्रभारी निरीक्षक श्री राजकुमार सिंह थाना भुता जनपद बरेली ।
2.उ0नि0 श्री सुभाष सिंह थाना भुता जनपद बरेली ।
3.उ0नि0 श्री चेनूराम राणा थाना भुता जनपद बरेली ।
4.उ0नि0 श्री ऋषिमित्र थाना भुता जनपद बरेली ।
5.मुख्य आरक्षी देवेन्द्र यादव थाना भुता जनपद बरेली ।
6.का0 दीपक कुमार थाना भुता जनपद बरेली ।
7.का0 अंकुश कुमार थाना भुता जनपद बरेली ।
8.का0 रचित कुमार थाना भुता जनपद बरेली ।
9.का0 जफसर थाना भुता जनपद बरेली ।
10.का0 अमरवीर बंसल थाना भुता जनपद बरेली ।